खदान हादसे के पीडितों के परिवारों से मिले उपायुक्त, अनाथ बच्चों के बने अभिभावक

सार्थक पहल से 2 बच्चों का कस्तूरबा एवं समर्थ विद्यालय में कराया नामांकन

संवाददाता

कोडरमा : गत 21 जनवरी 2021 को नगर पंचायत कोडरमा के घटोरिया जंगल में माइका चाल धसने से चंदर दास पिता स्व. कैलाश दास, लखन दास, पिता स्व.भीखीदास, महेन्द्र दास पिता स्व.बालू लाल दास एवं कैशल्या देवी, पति स्व. विनोद मुर्म की अकाल मृत्यु हो गयी थी। इन्ही के कमाई से इनके घर का चूल्हा जलता था। कोडरमा प्रखंड के पुरनानगर के रहने वाले परिवार के घर में उस त्रासदी का मातम अभी भी छाया हुआ है, बच्चे और घर की स्त्रियां की आंखे अभी भी नम हैं, होठों पर सिसकियां रुकने का नाम ही नही ले रही है। जिसे देखकर किसी का भी मन द्रवित हो जाय और रूह कांप जाए। पुरनानगर के रहने वाले की मृत्यु होने के उपरांत उनके बच्चों का जीवन अंधकारमय हो गया है। उनके समक्ष रोजी रोटी और संरक्षण का भी सवाल खड़ा हो गया है। जिस परिवार से पिता का साया हमेशा के लिए छीन गया हो उस परिवार पर एकाएक दुखों का पहाड़ टूटने जैसा है परिवार में कोई अभिभावक के रूप में नहीं बचने के कारण बच्चियों की सुरक्षा से लेकर उनके भविष्य की चिन्ता खड़ी हो गयी थी। पुरनानगर के महेन्द्र दास और कैशल्या देवी की मृत्यु के बाद अनाथ उनके दो बच्चों के लिये उपायुक्त रमेश घोलप ने संवेदनशीलता दिखाते हुये पहल की है। उनके द्वारा उन असहाय परिवार का सहारा बनने के लिए वे जिले के विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों के साथ सांत्वना और मदद के उददेश्य से वे मर्माहत परिवार के घर पहुंचे।

दो बच्चों को आवासीय विद्यालय में मुफ्त में मिलेगी शिक्षा : उपायुक्त ने अभिभावक बन परिवार स्वर्गीय महेंद्र दास के 15 वर्षीय पुत्री ममता कुमारी व स्व. विनोद मुर्म के पुत्र राहुल मुर्मू के घर जाकर कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय व समग्र आवासीय विद्यालय में नामांकन करवाया और अपने हाथ से रजिस्टर में नाम दर्ज करवाकर अभिभावक के रूप में हस्ताक्षर भी किया। उन बच्चों को निःशुल्क ड्रेस, किताब, कॉपी तथा अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री के साथ समुचित सुविधा देते हुए शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे उनका चहुमुखी और सर्वांगीण विकास हो सकेगो विदित हो कि कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में सिलाई, बुनाई, योगा, कंप्यूटर, संगीत आदि की शिक्षा 12वीं कक्षा तक मुफ्त दी जाती है। इससे बच्चों का कौशल विकास के साथ साथ वे जीविकोपार्जन का साधन जुटाकर आत्मनिर्भर हुई हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के तहत बीस हजार का स्वीकृति पत्र सौंपा : जिला प्रशासन द्वारा प्रक्रिया पूरी कराते हुये राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ की स्वीकृति दी गई। जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 20,000/- (बीस हजार) की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में दी जाएगी।

विधवा महिलाओं को पेंशन की स्वीकृति : जिला प्रशासन के द्वारा मृतक के तीन परिवार के विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन की स्वीकृति की गयी है। जिसमें सुनीता देवी, सरस्वती देवी और धनवा देवी को विधवा पेंशन का लाभ दिया गया। मौके पर कोडरमा उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा कि मेरी संवेदना उन सभी परिवारों के साथ है। एक अनाथ बेटे और पिता का साया खोयी एक बेटी को आवासीय स्कूल में नामांकन कर पीड़ितों को विभिन्न योजनाओं के लाभ से जोड़ने का काम किया है। इन विपरित हालातों को प्रेरणा बनाकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से पढ़ाई करने संदेश दो बच्चों को दिया है।

डीसी व एसपी ने लिया कोविड-19 का टीका

संवाददाता

कोडरमा : जिले में कोरोना टीकाकरण के तहत दूसरे चरण का टीकाकरण कार्य शुरू हो चुका है। इस दौरान जिले के विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, कर्मियों आदि ने टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर कोरोना का टीका लगवा रहे है। जिसके उपरांत स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी की आधे घंटे तक मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को जिले के उपायुक्त रमेश घोलप एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. एहतेशाम वकारिब ने सदर अस्पताल कोडरमा में कोरोना का टीका लगवाया। उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रजिस्ट्रेशन कराया, इसके बाद उपायुक्त महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को कोविड-19 की वैक्सीन दी गई। वैक्सिन लेने के पश्चात वे 30 मिनट के लिए अब्जर्वेशन रूम में में भी बिताया। उपायुक्त ने कहा कि वैक्सीनेशन का प्रथम डोज लिया है और मैं बिल्कुल स्वास्थ महसूस कर रहा हूं। उन्होंने सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से आम नागरिकों में फैल रही अफवाहों एवं भ्रांतियों का खंडन करते हुए कहा यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में हेल्थ व फ्रंड लाइन वर्कर को वैक्सीनेशन करा रहे हैं। उन्होंने शेष बचे हेल्थ व फ्रंड लाइन वर्कर से वैक्सीन लेने की अपील किये है तथा सरकार के निदेर्शानुसार जिन्हें भी वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित किया जायेगा, उनसे भी अनरोध होगी कि बिना किसी डर से वैक्सीन लें। आप सभी कोविड-19 का वैक्सीन अवश्य लें, जिससे हमारा जिला पूरी तरह से कोरोना महामारी से सुरक्षित हो सके। उपायुक्त ने कहा कि यह वैक्सीन हमें सुरक्षित रखने के प्रयास से दिया जा रहा है एवं जनहित में यह बेहद जरूरी है। इससे न केवल हम सुरक्षित रहेंगे बल्कि हमारा समाज भी महामारी से सुरक्षित रहेगा। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉ. एहतेशाम वकारिब ने कहा की फ्रंटलाइन कर्मियों, पुलिसकर्मियों एवं जिलावासियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के अफवाहों में ना पड़े एवं दूसरों को भी टीकाकरण हेतु प्रेरित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि आम जनता भ्रामक खबरें ना फैलाएं उन्होंने कहा के द्वितीय चरण की टीकाकरण में उन्होंने स्वयं कोविड-19 का टीका लिया है। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉ. अभय भूषण प्रसाद, उपाधीक्षक डॉ. रंजन कुमार, डॉ. शरद कुमार, डीपीएम महेश कुमार, पवन कुमार व अन्य मौजूद थे।

नये थाना प्रभारी ने किया पदभार ग्रहण

दुमका : उप राजधानी दुमका के थाना शिकारीपाड़ा में नये थाना प्रभारी सुशील कुमार ने दिन सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले इस थाने के प्रभारी संजय कुमार सुमन थे। प्रभार ग्रहण करने के बाद थानेदार सुशील कुमार ने कहा कि आम जनता को भयमुक्त वातावरण में रखना ही उनकी प्राथमिकता होगी। आम जनता के लिए वे 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे।

संक्षिप्त

सड़क दुर्घटना में पुलिसकर्मी की मौत एक गंभीर

जामताड़ा : करमाटांड़ के काशीटांड ग्राम निवासी प्रेम मंडल अपने घर से दोपहिया से मधुपुर जा रहे थे। इसी क्रम में सड़क दुर्घटना में प्रेम की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि प्रेम मंडल झारखंड पुलिस में हैं और उनकी तैनाती मधुपुर सिविल कोर्ट में थी। ड्यूटी जाने के क्रम में सीताकाटा रेलवे फाटक के समीप एक मोटरसाइकिल से सीधी टक्कर हो गई। जिससे उसे अंदरूनी चोटे आई और बेसुध होकर गिर पड़े। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने सर्वप्रथम करमाटांड़ स्थित सिंह मेडिकल में प्रारंभिक इलाज के लिए लाया जहां उन्हें जामताड़ा रेफर कर दिया । जामताड़ा अस्पताल के चिकित्सक ने घायल प्रेम मंडल को मृत घोषित कर दिया । इस घटना से परिजन का रो- रो के बुरा हाल है। जबकि दूसरा बाइक सवार कालिदास को भी गंभीर चोटें आई। जिसका इलाज जामताड़ा अस्पताल में चल रहा है।

बेना गांव में पशु चिकित्सा शिविर संपन्न

जामताड़ा : जामताड़ा प्रखंड के शहरपुरा पंचायत के बेना गांव में जिला पशुपालन विभाग के द्वारा आयोजित दो दिवसीय पशु चिकित्सा शिविर का समापन सोमवार को हो गया। प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉ प्रेम चंद्र साव की देखरेख में शिविर में आने वाले पशुओं की जांच कर दवा दी गई। इस दौरान बेना गांव के ग्रामीण अभिजीत भंडारी के द्वारा पशुपालकों के पशुओं का उपचार कराने में सहयोग किया। इस शिविर में पशुओं का उपचार निशुल्क किया गया एवं दवा का भी वितरण किया गया। मौके पर डॉक्टर प्रेम चंद्र साव ने पशुपालकों को पशुओं में होने वाली बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। उन्होंने पशु बांझपन कृत्रिम गभार्धान तथा विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई और उसका लाभ उठाने का अनुरोध किया। पशुपालकों को बताया गया कि भेड़ और बकरी की बीमारी में पीपीआर बीमारी सबसे संक्रमण एवं प्राण घातक बीमारी है यह बीमारी किसी भी उम्र के भेड़ और बकरी में हो सकती है। शिविर में शिवनाथ मंडल ग्रामीण सुखदेव बावरी जय देव महतो सहित अन्य मौजूद थे।

सड़क सुरक्षा पर सेमिनार का आयोजन

दुमका : सिदो कान्हु उच्च विद्यालय, दुमका में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में सड़क सुरक्षा से संबंधित बारीकियों के बारे में बताया गया। जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों ने, जो अलग अलग क्षेत्र से हैं, समाजसेवी, पत्रकार, वकील व छात्र प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचारों व अनुभवों से छात्रों को अवगत कराया। दुर्घटना से परिवार को होने वाले अपूर्ण क्षति के बारे में बताया गया। सभी छात्र छात्राओं से अपील को गई की वे कम से कम 10 लोगों को जागरूक करें। इस सेमिनार में सिदो कान्हु उच्च विद्यालय के सचिव प्रदीपतो मुखर्जी, सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य मुस्ताक अली, अमरेन्द्र सुमन, मनोज कुमार घोष,, नीलकंठ झा, रमण कुमार वर्मा, डीटीओ ऑफिस के प्रधान लिपिक त्रिलोकी नाथ मिश्र व सड़क सुरक्षा कोषांग के क्रांति किशोर व अभिषेक कुमार ने अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर सुमन झा, वीरेंद्र कुमार, छात्र प्रतिनिधि जोसेफ बास्की श्यामदेव हेंब्रम, अमित कुमार व विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

अवैध शराब बरामद, वाहन जब्त

संवाददाता

कोडरमा : पुलिस अधीक्षक डॉ. एहतेशाम वकारीब को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार को चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरंगबली चौक के निकट चंदवारा थाना प्रभारी सोनी प्रताप के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन कर एक टाटा मैजिक (यूके 08 सीबी/0757), जो बरही की ओर से आ रही थी, उसकी तलाशी ली गई। इस दौरान उक्त वाहन में भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब लदा हुआ पाया गया। वहीं चंदवारा पुलिस उक्त वाहन के चालक व उपचालक को गिरफ्तार करते हुए वाहन को थाने ले आयी। बता दें कि वाहन को विशेष रूप से इसी कार्य के लिए तैयार किया गया था, जिसमें गुप्त बॉक्स के साथ साइड से एक लॉकर भी लगा हुआ था। इससे शराब को आसानी से बाहर निकाला जा सकता था। मामले का उद्भेदन करते हुए एसपी डॉ. एहतेशाम वकारीब ने बताया की पूछताछ के दौरान चालक रामजनम डगौरा (26) व उपचालक शेखर चौधरी (23) (दोनों नेपाल निवासी) ने बताया कि उक्त माल को बिहार लेकर जा रहे थे।

तालाब को अलकतरायुक्त कचरे से भरने का ग्रामीणों ने किया विरोध

संवाददाता

कोडरमा : एनएचएआई के तहत चाराडीह-झुमरी तालाब को अलकतरायुक्त कचरे से भरे जाने के मामले पर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। वहीं कई गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने सोमवार को तालाब के पास पहुंचकर कचरा से भरे जाने पर भारी विरोध जताया। लोगों ने कहा कि इस मामले में एनएचएआई के अधिकारी व निर्माण कंपनी के मैनेजर के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहीए। ग्रामीणों ने अधिकारियों के विरोध में जमकर नारेबाजी की तथा तालाब के अधिग्रहण को ही नियम विरूद्ध बताया। आक्रोशित लोगों ने कहा कि तालाब के दूसरे छोर में 50 फीट अतिरिक्त भूमि होने के बाद भी जबरन तालाब का अधिग्रहण किया जा रहा है, जो यहां के दर्जनों गांवों के लोगों के जीवन के साथ पूरी तरह खिलवाड़ है। यहां 11.80 एकड़ में फैले इस तालाब के कारण ही सैकड़ों किसान खेती पर आश्रित है। तालाब से ही आस-पास के कई गांवों में जलस्तर पर सामान्य बना हुआ है। जलसंकट की स्थित क्षेत्र में उत्पन्न हुई तो चंदा कर लाखों रूपया खर्च कर लोगों ने गहरीकरण करवाया। अब बिना ग्रामीणों के समन्वय से पुरानी सड़क का अलकतरायुक्त कचरा से तालाब के बड़े हिस्से को भर दिया गया। इससे पूरा तालाब का पानी जहरीला हो रहा है। यहां तक की पानी का रंग भी बदलने लगा है। इस पानी के सेवन से गांव के मवेशियों की मौत हो सकती है। पानी में जहरीला कैमिकल व डस्ट फैलने से फसल नष्ट हो सकता है। जबकि आम लोगों को भी भयंकर दुष्प्रभाव झेलना पड़ सकता है। लोगों ने कहा कि इस मामले को लेकर अब सभी गांव के लोग जागरूक हो गये है। स्थानीय ग्रामीण सुरेश यादव, राजेश यादव, राजेंद्र प्रसाद, विजय यादव, मनोज कुमार शर्मा, महादेव यादव, परमेश्वर यादव, बालगोविंद यादव, अर्जुन यादव आदि ने कहा कि किसी भी कीमत पर तालाब को बर्बाद होने नहीं दिया जाएगा।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय भवन प्रमण्डल, लोहरदगा

शुद्धि पत्र

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा निकाली गई अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 26/2020-21, PR संख्या – 240758 Lohardaga (20-21) D में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

कंडिका 8 के क्रम संख्या 1, 2, एवं 3 में उद्दृत प्राक्कलित राशि रू० 40,09,000=00 के स्थान रू० 44,09,000=00 एवं अग्रधन की राशि रू० 82,000=00 के स्थान पर रू० 88,200=00 पढ़ा जाय।

निविदा की अन्य शर्त्ते यथावत् रहेंगी।

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल लोहरदगा

PR 241095 Lohardaga (20-21)_D

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय पेयजल एवं स्वच्छता यान्त्रिक प्रमंडल, गुमला

शुद्धि- पत्र

पेयजल एवं स्वच्छता यॉंत्रिक प्रमण्डल, गुमला अन्तर्गत अति अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या – 03/2020-21 जो PR No 240829 (Drinking Water & Sanitation) 20-21*D द्वारा प्रकाशित है, में कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यॉंत्रिक प्रमण्डल, **राँची** मोहर के जगह कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता यॉंत्रिक प्रमण्डल, **गुमला** के रूप में संशोधित किया जाता है।

नोट :– निविदा सूचना के शेष भाग एवं शर्ते पूर्ववत रहेगें एवं यह शुद्धि पत्र परिमाण विपत्र का भाग रहेगा।

कार्यपालक अभियन्ता
पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल,गुमला

PR 241112 (Drinking Water and Sanitation)20-21#D

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल लातेहार

शुद्धि–पत्र

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार का अति अल्प कालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–LTR/SCA/MWSS-06/2020-21 जो दैनिक समाचार पत्रों में **PR240535 Drinking water and Sanitation (20-21)D** से प्रकाशित है।

उक्त निविदा में निविदा की आवश्यक शर्ते क्रमांक– 04 एवं क्रमांक– 09 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:–

क्रमांक– 04:– निविदा के साथ अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र अथवा तीन या पाँच वर्षीय डाकघर सावधि जमा पासबुक के अतिरिक्त एक अथवा तीन वर्षीय बैंक द्वारा निर्गत फिक्स डिपोज्टि को भी शामिल किया जाता है।

क्रमांक– 09:– निविदा कार्य में स्वयं का रीग मशीन अथवा निबंधित लीज डीड के स्थान पर संशोधन करते हुए निविदा कार्य में स्वयं का रीग मशीन ही मान्य होगा।

निबंधित निविदा की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

PR.NO.241075 Drinking Water and Sanitation(20-21):D

कार्यपालक अभियंता,
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल लातेहार।

आरएसडी फाइनैंस लिमिटेड

CIN No.: L17222JH1963PLC013316
पंजीकृत कार्यालय: होल्डिंग न. 4, दि होटल एलकॉर रामदास भट्ठा, बिष्टूपुर, जमशेदपुर-831001
वेबसाइट : www.rsdfinancelimited.com

सूचना

यह सूचना दी जाती है कि सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (सूचीकरण विनियमन) के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47 के अनुसार 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही (क्यू3) के लिए कंपनी के अनांकेक्षित (एकल एवं समेकित) वित्तीय परिणामों के साथ अन्य विषयों पर विचार तथा अनुमोदन हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक रविवार, 14 फरवरी, 2021 को आयोजित होगी।

ऊपरोक्त विनियमनों के विनियमन 47(2) के अनुसार यह जानकारी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) जहां कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध है पर उपलब्ध है तथा कंपनी की वेबसाइट www.rsdfinancelimited.com पर भी उपलब्ध है।

कृते आरएसडी फाइनैंस लिमिटेड
राजीव सिंह दुग्गल
निदेशक
डीआईएन: 00052037

दिनांक: 06.02.2021
स्थान: जमशेदपुर

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Bank

शाखा कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, लैंडमार्क बिल्डिंग, चौथी मंजिल, 228 ए, एजेसी बोस रोड, कोलकाता 700020
CIN No: L65190GJ1994PLC021012, www.icicibank.com

जबकि

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तिय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतरर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित कर्जदारों को मांग सूचनाएं निर्गमित की थी जिसमें उक्त सूचना के प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि को प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानतदार राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे है अतएव एतद् द्वारा कर्जदार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर दाता द्वारा सांकेतिक अधिग्रहण किया गया है जो कि उक्त अधिनियम धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है एतद् द्वारा विशेष रुप से कर्जदार एवं जनसाधारण को सम्पत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए सचेत किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे ब्याज हेतु आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र.	कर्जदार/ सह–कर्जदार का नाम/ खाता क्र.	सम्पति का विवरण/ सांकेतिक कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	वेद नारायण शर्मा/ कांति देवी/ कृष्णा नगर बरियातू रोड झारखंड रांची 834009/ LBRNI00001946685	पहली मंजिल पर फ्लैट नंबर ए, माँ अपार्टमेंट, आर.एस. प्लॉट नंबर 2703, सब प्लॉट नंबर 20, 21 और 22, खाता नंबर 17, पीएस–सदर, पी.एस. नंबर 184, वार्ड नंबर 5, जिला– रांची, गाँव बारगाईं, झारखंड रांची सुपर बिल्ट अप एरिया का परिमाप 1595 वर्ग फुट भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ 606 वर्ग फुट पार्किंग स्पेस के साथ शेड्यूल ए में/ सांकेतिक कब्जे की तिथि 05.02.2021	अगस्त 29, 2020/ ₹ 7,15,486/-	रांची
2.	मंटी कच्छप/ संजय ओराओं/ खिजुरिया टोली मोराबादी रांची झारखंड रांची 834008/ LBRNI00002420122	होल्डिंग नंबर 2030/ डी 2, खाता नंबर 72, आरएस प्लॉट नंबर 1570, खिजुरिया टोली मौजा–मोरहाबादी वार्ड नंबर VII सी थाना नंबर 192 पी.एस.– बरियातू, जिला– रांची झारखंड रांची क्षेत्र का परिमाप 10 कथा अथवा 16 2/3 डेसिमल/ सांकेतिक कब्जे की तिथि 05.02.2021	फरवरी 29, 2020/ ₹ 5,30,536/-	रांची

उपरोक्त दर्शाये गये कर्जदार/सह–कर्जदार एवं जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जायेगी जो पूर्णतः नियम 8 और 9 सुरक्षित ब्याज 2002 के अंतर्गत है।

दिनांक: फरवरी 09, 2021
स्थान: रांची

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लि.

HDB Financial Services Limited
HDB FINANCIAL SERVICES

भूतल, जेनिथ हाऊस, केशवराव खडे मार्ग,
महालक्ष्मी, मुम्बई-400034 दूरभाष सं. : +91 22 49116300

स्वर्ण आभूषणों के लिए नीलामी सह बिक्री की अंतिम सूचना

एतद्द्वारा कार्जदारों (जिनका विवरण यहां नीचे उल्लिखित सारणी में उल्लिखित है) को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को आम तौर पर सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लिखित खाते अतिशोध्य हो चुके हैं तथा कर्जदारों द्वारा हस्ताक्षरित/स्वीकृत नीचे उल्लिखित ऋण (इन दस्तावेज को सामूहिक रूप से "ऋण दस्तावेज" कहा गया है) के संबंध में दस्तावेज के अनुसार उनके बकाया राशि चुकता करने के लिए कर्जदार को एचडीबी फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा अनुरोध स्वरूप भेजी गई संचार तथा सूचना का कर्जदारों/खाता धारकों की ओर से न तो कोई जवाब दिया गया/और न ही उसका अनुपालन किया गया तथा इसके फलस्वरूप वे विफल हो चुके हैं। कंपनी ने गिरवीदार के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कंपनी के समक्ष कर्जदारों द्वारा ग्रहण की गई ऋणों की वसूली/प्राप्ति तथा उसकी बिक्री के लिए ऋण हेतु जमानत के रूप में कंपनी के पास गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति को जब्त कर उसकी सार्वजनिक नीलामी करने का निर्णय लिया है। नीलामी एचडीबी फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड की नीचे उल्लिखित स्थानीय शाखा में **दिनांक 15-02-2021** को पूर्वाह्न 11.00 बजे से आयोजित की जाएगी, जिसका विस्तृत विवरण नीचे सारणी में उल्लिखित है:-

क्रमांक	ऋण नं.	ग्राहक का नाम	ऋण की तारीख	अतिशोध्य रकम रु.	शाखा का नाम
1	9331584	परमजीत सिंह गुडनू	22-अक्टूबर-19	9390	धनबाद
2	9231612	सुनील कुमार स्वर्णकर	16-अक्टूबर-19	8785	धनबाद
3	10189541	अशोक कुमार	31-दिसम्बर-19	11308	धनबाद
4	11604574	शबनम मेंहदी	17-जून-20	20744	धनबाद
5	4354641	सुमन श्रीवास्तव	3-मई-18	14474	धनबाद
6	9028240	स्वाति सरकार	1-अक्टूबर-19	180094	जमशेदपुर
7	9719413	राजीव कुमार ठाकुर	20-नवम्बर-19	30637	जमशेदपुर
8	10201437	शहदबुल हक	2-जनवरी-20	32489	जमशेदपुर
9	10843130	शहदबुल हक	11-फरवरी-20	31447	जमशेदपुर
10	11017488	प्रिया सिंह	25-फरवरी-20	17749	जमशेदपुर
11	11040396	शहबनुल हक	26-फरवरी-20	53365	जमशेदपुर
12	2090689	जय प्रकाश पाठक	12-जनवरी-17	50606	जमशेदपुर
13	4444797	नवनीत कुमार	17-मई-18	9220	जमशेदपुर
14	8835607	मोहम्मद इमरान	13-सितम्बर-19	139543	जमशेदपुर
15	8951785	शाहिदा परवीन	23-सितम्बर-19	92004	जमशेदपुर
16	7007859	मोहम्मद शैद	22-मार्च-19	6562	रांची
17	8227942	राहुल कुमार सिंह	15-जुलाई-19	33166	रांची
18	10873895	मो. अकरम वली	12-फरवरी-20	32640	रांची-हरमू रोड

नीलामी **"जैसे है जहां है"** तथा **"जैसे है जो है"** के आधार पर संचालित की जाएगी तथा कंपनी संबंधित स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेटेज, वजन अथवा मूल्यांकन के संबंध में कोई भी अभिवेदन अथवा वारंटी नहीं दे रही और न ही देगी। अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले संबंधित स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेटेज, वजन अथवा मूल्यांकन के बारे में जांच, निरीक्षण कर स्वयं को संतुष्ट करने की एकल एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रत्याशित क्रेता की होगी तथा इस उद्देश्य के लिए नीलामी संचालन के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रत्याशित क्रेतागण कुशल व्यक्ति की सलाह द्वारा अथवा उसके बगैर यहां ऊपर उल्लिखित पते पर अपने खर्च एवं व्यय पर स्वर्ण आभूषणों की जांच कर पाएंगे। सभी बोलियां कंपनी द्वारा इस संबंध में निर्धारित की गई न्यूनतम आरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। इस नीलामी से संबंधित नीलामी की प्रक्रिया तथा बिक्री (यदि कोई है) कंपनी के एकल इच्छानुसार सटीक समझे जाने वाली लागू नियम एवं शर्तों के अनुसार होगी।

ऊपर उल्लिखित कर्जदार द्वारा ऊपर उल्लिखित नीलामी से पहले अपने व्यक्तिगत ऋण खाते में ऋण अनुबंध के नियमों के तहत कंपनी को सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर दिए जाने पर उक्त ऋण की जमानत के तौर पर गिरवी पर रखी गई आभूषणों को बिना कोई सूचना दिए नीलामी से वापस ले लिया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि कंपनी के अधोहस्ताक्षरित अधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई पूर्व सूचना दिए तथा बिना कोई कारण बताए नीलामी की प्रक्रिया को स्थगित अथवा रद्द करने तथा किसी अथवा सभी बोलियों अथवा प्रस्ताव को रद्द करने का सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

स्थान : झारखण्ड
तारीख : 09-02-2021

अधिकृत अधिकारी
(एचडीबी फाइनैंशियल सर्विसेस लिमिटेड)

IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LIMITED

E AUCTION NOTICE FOR SALE OF VEHICLES

Registration / Letter of Interest are invited from interested buyers for purchase of vehicles strictly on **"as is where is basis"**.

The vehicles for sale are located at (i)Ahmedabad; (ii) Gurugram; (iii) Nashik; (iv) Jaipur, (v) Moradabad; (vi) Mumbai ;(vii) Rajkot; (viii) Belgaum ; (ix) Durgapur ; (x) Guwahati ; (xi) Hyderabad; (xii) Ranchi; (xiii) Trivandrum & (xiv) Chenani (J&K)

The vehicles are available for inspection between February 9 to February 15 , 2021 from 9:00 AM to 5:00 PM after taking prior appointment.

The details of the vehicles and catalogue is available on the website:

http://www.itnlindia.com/ad.html# or contact

Jyoti Nayak Mobile: +91-8336939633 / Kiran More on Mobile: +91-9820314649

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER DRINKING WATER & SANITATION MECH. URBAN DIVISION, RANCHI

Very Short e-Quotation No. 03/2020-21 (2nd Call)

P.R. No. 239736 (Drinking Water & Sanitation) 20-21 (D)

Rates through e-Quotation has invited for the items/materials annexed as annexure-1 for supplying, installation, commissioning and testing of 33/11 KV Sub-station materials with all accessories work from reputed manufacturer/authorized dealer having valid G.S.T.I.N. of materials. The rates confirming to specification shall be submitted online in the website https://jharkhandtenders.gov.in. Details of materials and its specification for the work of supplying, installation, commissioning and testing of 33/11 KV Sub-station materials with all accessories under D.W. & S. Mechanical Urban Division, Ranchi are available on the above e-Tender Portal. Terms & condition will be available in website. The quotationer may download the documents from the website and quote their rate of materials online up to 15.02.2021 at 15:00 hrs. The quotation will be opened on 17.02.2021 at 16:00 hrs. The quotation is invited to ascertain and assess the rate of materials at par with lowest market rate.

Address for Communication
Executive Engineer,
Drinking Water & Sanitation Mechanical
Urban Division, Ranchi
Email Id- dwsdmechurbanranchi@gmail.com

Executive Engineer,
D.W& S. Mechanical Urban Division, Ranchi

PR 241079 (Drinking Water and Sanitation) 20-21 (D)

Department of Agriculture, Animal Husbandry & Co-operative Government of Jharkhand DISTRICT HORTICULTURE OFFICE HAZARIBAGH

ADDRESS- AGRICULTURE FARM, SHANKARPUR BARKAGOAN ROAD, HAZARIBAGH
Email Id – dho.hazaribagh@gmail.com

EOI Notice No – 03/2020-21
EXPRESSION OF INTEREST (VERY SHORT)

S. NO	INFORMATION	DETAILS
1	Name of the Work	Renovation of Plant Resource Centre At Soil Conservation Research & Training Centre, Demotand , Hazaribagh.
2	Date of Publication of Bid on website	10-02-2021
3	Tender Cost	Rs. 2000 in the Form of DD, in Favour of 'District Horticulture Officer, Hazaribagh payable at, Hazaribagh.
4	EMD	1,00,000 in form of DD in Favour of 'District Horticulture Officer, Hazaribagh, payable at Hazaribagh
5	Last date and time of receipt of BID	Date : 17.02.2021 Time : 05.00 PM
6	Date of time of opening of BID	Date : 18.02.2021 Time : 01:00 PM
7	Bid Submission Place	District Horticulture Office, Agriculture Farm, Shankarpur, Barkagoan Road, Hazaribagh. Pin Code – 825301 (E.O.I bid document can be sent by post/courier/or by hand)
8	Bid Opening Place